


प्रश्न सं. [क. 1156]

अतारांकित प्रश्न कं० 1156 का परिशिष्ट-“अ”

- (1) नर्मदापुरम् अंतर्गत तहसील नर्मदापुरम् के शहर नर्मदापुरम् एवं तहसील पिपरिया अंतर्गत शहर पचमढी सम्पूर्ण नजूल एवं लीज की जमीन पर बसा हुआ है।
- (2) बालाघाट जिले के अनुविभाग कंटगी अंतर्गत शहर कंटगी सम्पूर्ण नजूल एवं लीज की जमीन पर बसा हुआ है।
- (3) नीमच जिले के उपखंड अंतर्गत नीमच एवं जीरन शहर शासकीय नजूल भूमि आबादी नगरपालिका स्वामित्व की भूमि एवं निजी भूमियों पर बसा हुआ है तथा उपखंड जावद अंतर्गत ग्राम कुण्डला लीज भूमि पर बसा हुआ है।
- (4) जिला डिंडोरी का ग्राम डिंडोरी के खसरा नं. 81 रकबा 42.1330 हे. भूमि नजूल के रूप में दर्ज है, जिसमें लीज लेकर बसाहट है।
- (5) जिला बुरहानपुर शहर क्षेत्रांतर्गत नजूल ब्लाक नं. 01 से 80 तक नजूल भूमि एवं लीज की जमीन पर बसा हुआ है।


09/12/2024
अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग